

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : F26(4)(27)बजट घोषणा 157/IEC/ICDS/17/

18416-444

जयपुर दिनांक 30-1-18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त (उदयपुर, जयपुर, टोंक तथा बांसवाडा को छोड़कर)

विषय:-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्य प्रदर्शन के आधार पर मासिक प्रोत्साहन राशि के भुगतान की तुलनान्तमक समीक्षा बाबत।
प्रसंग:-विभागीय पत्र क्रमांक 166376-679 दिनांक 30.10.2017 एवं 197164-196 दिनांक 19.12.2017 एवं 7657-89 दिनांक 09.01.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया था। यह प्रोत्साहन योजना तीन माह (अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर) के लिए लागू की गई थी। इसकी समीक्षा के लिए संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालयों से एकत्रित कर एकजाई सूचना अविलम्ब निम्न प्रारूप (अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर माह हेतु अलग-अलग) में सूचना प्रेषित करावें :-

जिले का नाम

माह.....

क्र. सं.	परियोजना	शाला पूर्व शिक्षा		वृद्धि निगरानी व कुपोषण प्रबन्धन	
		90 प्रतिशत एवं अधिक उपलब्धि प्राप्त करने वाली कार्यकर्ताओं की संख्या	75 प्रतिशत से अधिक एवं 90 प्रतिशत से कम उपलब्धि प्राप्त करने वाली कार्यकर्ताओं की संख्या	90 प्रतिशत एवं अधिक उपलब्धि प्राप्त करने वाली कार्यकर्ताओं की संख्या	75 प्रतिशत से अधिक एवं 90 प्रतिशत से कम उपलब्धि प्राप्त करने वाली कार्यकर्ताओं की संख्या

उक्त सूचना प्रारूप में दिनांक 25.12.2017 तक आवश्यक रूप ecerajasthan2017@gmail.com प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था, जो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना निर्धारित प्रारूप में विभागीय मेल आईडी पर अविलम्ब प्रेषित करावें।

आयुक्त

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F26(4)(27)बजट घोषणा 157/IEC/ICDS/17/

18445-700

जयपुर दिनांक 30-1-18

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, समस्त को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रोत्साहन योजना की समीक्षा के लिए सूचना निर्धारित प्रारूप (अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर माह की अलग-अलग) में तैयार कर संबंधित उप निदेशक कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित करावें।
3. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (आई)